भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 479

24 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

देश में इस्पात की बढ़ती माँग

479. श्री घनश्याम तिवाड़ी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में शहरीकरण और आधारभूत अवसंरचना के विकास को देखते हुए इस्पात की माँग में वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस्पात की इस बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2013-14 और विगत तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात के आयात और निर्यात का तुलनातमक ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क): विगत तीन वर्षों (वर्ष 2020-21 से 2022-23) के दौरान देश में घरेलू इस्पात की क्षेत्र-वार खपत के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

घरेलू इस्पात की क्षेत्र-वार खपत (एमटी)			
क्षेत्र	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
भवन एवं निर्माण	41.0	45.7	51.8
अवसंरचना	23.8	26.5	30.1
ऑटोमोबाइल	8.4	9.3	10.6
इंजीनियरिंग और पैकेजिंग	20.9	23.3	26.4
रक्षा	0.8	1.0	1.1
कुल	94.9	105.8	119.9
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी=मिलियन टन;			

(ख): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। उत्पादन से संबंधित निर्णय बाजार से प्रभावित होते हैं और इस्पात कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकीय-वाणिज्यिक

सोच-विचारों के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार ने घरेलू इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों को अधिसूचित किया है, जिनमें शामिल हैं:-

i. राष्ट्रीय इस्पात नीति, (एनएसपी) 2017 का लक्ष्य इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके इस्पात उत्पादन में 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने के लिए वातावरण प्रदान करना है। एनएसपी-2017 के तहत वित्त वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन (एमटी) क्रूड इस्पात क्षमता और 255 एमटी उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

ii. सरकारी अधिप्राप्ति में मेड इन इंडिया इस्पात को बढ़ावा देने हेतु घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

iii. देश में विशेष इस्पात के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 6,322 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

iv. द्वितीयक इस्पात क्षेत्रों के लिए स्वदेशी रूप से उत्पन्न होने वाले स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

v. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों तथा स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों के मुद्दों के निपटान हेतु उनके साथ सहभागिता।

vi. देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग को बढ़ावा देने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संबंधित हितधारकों के साथ सहभागिता।

(ग): वर्ष 2013-14 और विगत तीन वर्षों के दौरान, तैयार इस्पात (अलॉय/स्टेनलेस और नॉन-अलॉय) के आयात और निर्यात के आंकड़े निम्नवत् हैं:-

वर्ष	**आयात (एमटी)**	**निर्यात (एमटी)**
2013-14	5.45	5.98
2020-21	4.75	10.78
2021-22	4.67	13.49
2022-23	6.02	6.72
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी=मिलियन टन		

****